

न्यायालय-मधुसूदन जंघेल,  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)

दाण्डिक प्रक0क0:-981 / 2013

स्थित दिनांक:-29.10.2013

फाईलिंग नं.234503001192013

म0प्र0 राज्य द्वारा थाना प्रभारी आरक्षी  
केन्द्र बैहर जिला बालाघाट(म0प्र0)

.....अभियोजन

**!! विरुद्ध !!**

धनीराम पिता हीरासिंह, उम्र-40 साल,  
निवासी ग्राम टाटीघाट थाना बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0) .....आरोपी

**!! निर्णय !!**

( दिनांक 15/05/2018 को घोषित किया गया )

01. उपरोक्त नामांकित आरोपी पर दिनांक 13.08.2013 को 8:00 बजे आरक्षी केन्द्र बैहर अंतर्गत ग्राम टाटीघाट में फरियादी आयासिंह के मार्ग में स्वेच्छया बाधा डालकर उसे जिस दिशा में जाने का अधिकार था, उसमें जाने से निवारित कर सदोष अवरोध कारित करने, फरियादी आयासिंह को लोकस्थान या उसके समीप मॉ-बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित करने, फरियादी आयासिंह एवं आहत उमेश वघाड़े की मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित करने, फरियादी आयासिंह को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने, इस प्रकार धारा-341, 294, 323(दो काउन्ट), 506 (भाग-2) भा.दं.वि. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित करने का आरोप है।

02. प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस आशय का है कि घटना दिनांक 13.08.2013 को सुबह 8:00 बजे फरियादी आयासिंह दीपक चौरसिया की बस क्रमांक एम.पी.51ई.0798 को लेकर मलाजखंड से मण्डला लेकर जा रहा था, तभी ग्राम टाटीघाट मेन रोड पर आरोपी धनीराम ने अपनी मोटर सायकिल रोड पर खड़ी कर बस रोक दिया और फरियादी आयासिंह को मॉ-बहन की गंदी-गंदी गालियाँ देकर कहा कि दिनांक 12.08.2013 को 3:30 बजे उसकी

मोटर सायकिल रोड से क्यों हटाया कहकर फरियादी को बस से नीचे खींचकर डंडा एवं हाथ-मुक्कों से मारपीट करने लगा। मारपीट के दौरान जब हेल्पर उमेश जब बीच-बचाव करने आया तो उसके साथ भी आरोपी ने मारपीट किया। आरोपी धनीराम ने फरियादी आयासिंह को जान से मारने की धमकी दिया, जिसके उपरांत फरियादी आयासिंह ने थाना बैहर में जाकर घटना की रिपोर्ट की, जिसे थाना के प्रथम सूचना रिपोर्ट अप०क०-111/13 धारा-294, 323, 341, 506 भा.दं.वि. का पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। फरियादी एवं आहत का मेडिकल परीक्षण कराया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं आवश्यक अन्वेषण उपरांत धारा-341, 294, 323, 506 भाग-दो भा.दं.वि. के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

**04.** आरोपी ने अपने अभिवाक् तथा अभियुक्त परीक्षण अन्तर्गत धारा-313 द०प्र०सं० में आरोपित अपराध करना अस्वीकार किया है तथा बचाव में कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फसाया गया है। आरोपी ने अपने बचाव में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया है।

**05.** प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय हैं-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 13.08.2013 को 8:00 बजे आरक्षी केन्द्र बैहर अंतर्गत ग्राम टाटीघाट में फरियादी आयासिंह के मार्ग में स्वेच्छया बाधा डालकर उसे जिस दिशा में जाने का अधिकार था, उसमें जाने से निवारित कर सदोष अवरोध कारित किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी आयासिंह को लोकस्थान या उसके समीप मों-बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
3. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी आयासिंह एवं आहत उमेश वघाड़े की मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित किया ?
4. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी आयासिंह को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

**-:: निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण ::-****विचारणीय प्रश्न क्रमांक-01**

06. आरोपी पर धारा-341 भा०द०वि० का आरोप है। अभियोजन को यह प्रमाणित किया जाना चाहिए कि आरोपी ने फरियादी आयासिंह के मार्ग में स्वेच्छया बाधा डालकर उसे जिस दिशा में जाने का अधिकार था, उस दिशा में जाने से निवारित किया। आयासिंह अ.सा.1 ने बताया है कि आरोपी धनीराम ने मेन रोड पर उसकी बस को सामने से रोक लिया, किन्तु कौन सी बाधा डालकर आरोपी ने रोका था या उसके मार्ग में कौन सा अवरोध उत्पन्न किया था स्पष्ट नहीं बताया है। प्रतिपरीक्षण में बताया है कि मोटर सायकिल से रास्ता रोकना बताया है, किन्तु मोटर सायकिल नंबर नहीं बता सकता। संशुल अ.सा.02 ने बताया है कि किसी ने मोटर सायकिल को बीच रास्ते में खड़ी कर दिया था, किन्तु इस साक्षी ने भी यह स्पष्ट नहीं किया है कि आरोपी ने ही मोटर सायकिल बीच रास्ते में खड़ी किया था। उमेश अ.सा.03 ने बताया है कि धनीराम और उसके साथ अन्य लोग मिलकर बस के सामने मोटर सायकिल खड़ी कर बस को रोके थे, किन्तु प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर मोटर सायकिल किसने खड़ी की थी, उसे जानकारी नहीं है। स्वतः बताया है कि मोटर सायकिल पूर्व से खड़ी थी। इस प्रकार इस साक्षी के भी कथन से यह प्रकट नहीं है कि आरोपी द्वारा ही रास्ते में खड़ा किया गया था। उक्त साक्षियों ने यह भी नहीं बताया है कि आरोपी ने ही उसके मार्ग में मोटर सायकिल खड़ी करके बाधा या अवरोध पैदा किया, जिसके कारण वह उस मार्ग से नहीं जा पाया, जिधर से उसे जाने का अधिकार था, इस प्रकार उक्त साक्षियों के कथन से धारा-341 भा०द०वि० का आवश्यक तथ्य प्रमाणित नहीं होता है।

**विचारणीय प्रश्न क्रमांक-02**

07. आयासिंह अ.सा.1 ने बताया है कि आरोपी धनीराम ने उसे

माँ-बहन की गंदी-गंदी गाली दी थी, किन्तु आरोपी ने कौन-कौन सी गालियाँ दी थी और गाली सुनकर क्षोभ कारित होने के बारे में नहीं बताया है। समशुल अ.सा.02 ने बताया है कि वह बस के अन्दर बैठा था, इसलिये उसने गाली नहीं सुन पाया था। उमेश अ.सा.03 ने मुख्यपरीक्षण में गाली-गलौच के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर भी इस साक्षी ने आरोपी द्वारा गाली-गलौच किये जाने से इंकार किया है। लौदेलाल अ.सा.04, राजकुमार अ.सा.05, सुशील अ.सा.08, सुखदेव अ.सा.09 तथा कमलेश अ.सा.10 ने आरोपी द्वारा गाली-गलौच किये जाने के बारे में कोई कथन नहीं किये हैं। इस प्रकार स्वयं फरियादी ने गालियों के बारे में तथा उसकी अश्लील प्रकृति के बारे में स्पष्ट नहीं बताया है। फरियादी एवं अन्य साक्षियों ने गाली सुनकर क्षोभ कारित होने के बारे में भी नहीं बताया है। फलतः आरोपी द्वारा फरियादी को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया जाना प्रमाणित नहीं पाया जाता है। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत शरद दवे विरुद्ध महेश गुप्ता विधि भास्वर 2005(2) पेज नं.152 अवलोकनीय है।

### विचारणीय प्रश्न क्रमांक-03

08. आयासिंह अ.सा.01 ने बताया है कि वह आरोपी धनीराम को जानता है। घटना लगभग एक वर्ष पूर्व की है। वह घटना दिनांक को दीपक चौरसिया की बस लेकर बिरसा से मण्डला जा रहा था। जैसे ही उसकी बस टाटीघाट गांव के पास पहुँची तो आरोपी धनीराम ने मेन रोड पर उसकी बस को खड़ी कर 10-15 लोगों के साथ उसके साथ लाठी से मारपीट की थी। मारपीट से उसके नाक के पास चोट आई थी। उसने घटना की रिपोर्ट प्र.पी.01 थाना बैहर में किया था। पुलिस ने घटनास्थल का मौका नक्शा प्र.पी.02 तैयार किया था। पुलिस ने घटना के संबंध में उसका बयान लेखबद्ध किया था।

09. आयासिंह अ.सा.01 ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि बिरसा से मण्डला चौरसिया बस को वह लगभग 15 वर्षों से चला रहा है। उसने पुलिस

को बयान देते समय टाटीघाट में 10-15 लोगों द्वारा लाठी से मारने के संबंध में कथन दिया था। उसने पुलिस को अकेले आरोपी धनीराम के द्वारा मारने वाली बात नहीं बताई थी। यदि उसके पुलिस रिपोर्ट प्र.पी.01 में 10-15 लोगों द्वारा मारपीट की बात न लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकता। प्रतिपरीक्षण में यह भी बताया है कि घटना के समय बस में यात्री बैठे हुए थे, उन्होंने बीच-बचाव नहीं किया था। स्वतः बताया कि कंडेक्टर और एक-दो लोगों ने बीच-बचाव किया था। घटना के पूर्व उसका आरोपी धनीराम से कोई विवाद भी नहीं था। प्रतिपरीक्षण में इससे भी इंकार किया है कि घटना के कुछ दिन पूर्व उसने आरोपी धनीराम को टाटीघाट के पहले ग्राम हरभाट में मोटर सायकिल खड़ी करने के संबंध में बस रोककर मारपीट की थी। इससे भी इंकार किया है कि मारपीट के संबंध में आरोपी ने उसके विरुद्ध थाना बैहर में रिपोर्ट दर्ज की थी। इससे भी इंकार किया है कि आरोपी की रिपोर्ट से बचने के लिए उसने आरोपी के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट की है, किन्तु प्रकरण में बचाव पक्ष की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि पूर्व में फरियादी के विरुद्ध आरोपी ने मारपीट को लेकर थाना बैहर में कोई रिपोर्ट की थी, जिससे अनायास दिये गये सुझाव से बचाव पक्ष को कोई सहायता प्राप्त नहीं होता है। यद्यपि फरियादी ने 10-15 लोगों के साथ मिलकर मारपीट की बात बताया है, परंतु प्रकरण में सिर्फ धनीराम को आरोपी बनाया गया है और फरियादी आयासिंह ने आरोपी धनीराम की पहचान भी की है और उसके द्वारा मारपीट किया जाना भी बताया है, जिससे साक्षी के कथन में सामान्य विरोधाभास होने से उसके संपूर्ण कथन को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता तथा साक्षी के कथन में कोई तात्त्विक विरोधाभास या लोप नहीं है।

**10.** समशुल खान अ.सा.02 ने बताया है कि वह आरोपी को जानता है। फरियादी आयासिंह को भी जानता है। घटना लगभग एक वर्ष पूर्व टाटीघाट में दिन के 8:00 बजे की है। वह और आयासिंह दीपक चौरसिया बस से बैहर से



सरेखा जा रहे थे। टाटीघाट के पास पहुँचे, तब बस चालक आयासिंह के साथ कुछ लोगों ने डण्डे से मारपीट की थी। नीचे उतरने पर उसके साथ भी मारपीट किये थे। प्रतिपरीक्षण में बताया है कि वह बैहर से सरेखा चूड़ी बेचने जाता है। बाजार आते-जाते समय आरोपी को ग्राम टाटीघाट में देखा था। इस प्रकार इस साक्षी ने स्पष्टतः यह नहीं बताया कि आरोपी धनीराम ने मारपीट की, किन्तु इस साक्षी ने टाटीघाट में बस चालक आयासिंह के साथ मारपीट की घटना का समर्थन किया है तथा मारपीट करने वाले की पहचान स्वयं फरियादी आयासिंह ने की है।

11. उमेश अ.सा.02 ने बताया है कि वह आरोपी धनीराम तथा फरियादी आयासिंह को जानता है। घटना लगभग एक वर्ष पूर्व सुबह 7:45 बजे टाटीघाट की है। वह दीपक चौरसिया की बस में हेल्पर का कार्य करता है। घटना दिनांक को वह बिरसा से मण्डला जा रहा था। आरोपी धनीराम ने उनकी बस को खड़ी कर फरियादी आयासिंह के साथ लाठी से मारपीट किया था और उसके साथ लात-घूसों से मारपीट किया था। फरियादी आयासिंह को नाक के पास चोट आई थी। मारपीट से उसके कपड़े फट गये थे। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर यह बताया है कि आयासिंह के साथ मारपीट के दौरान जब वह बीच-बचाव किया था, तो उसके साथ भी मारपीट हुई थी। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने बताया है कि घटनास्थल पर 20-25 लोगों की भीड़ थी। आरोपी धनीराम मौके पर था या नहीं वह नहीं पहचानता। प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि उसके साथ जिन लोगों ने मारपीट की उसे वह नहीं पहचानता। स्वतः कहा कि 4-5 लोगों ने मारपीट की थी। इस प्रकार इस साक्षी ने मारपीट की बात बताया है, किन्तु उसके साथ आरोपी धनीराम ने मारपीट की हो ऐसा नहीं बताया है, जिससे आरोपी धनीराम द्वारा आहत उमेश के साथ मारपीट का तथ्य प्रकट नहीं होता, किन्तु साक्षी उमेश के कथन से भी इस बात की पुष्टि होती है कि घटना दिनांक को टाटीघाट में फरियादी आयासिंह के साथ मारपीट

की घटना हुई थी।

**12.** लौदेलाल अ.सा.04 ने यह बताया है कि घटना लगभग एक वर्ष पूर्व सुबह 8:00 बजे की है। वह दीपक चौरसिया बस से बैहर से सरेखा जा रहा था। बस को आयासिंह चला रहा था। जैसे ही बस टाटीघाट पहुँची वहाँ भीड़ थी, लोगों ने बस को रोक कर मारपीट की थी। फरियादी आयासिंह को चोट आई थी। बीच-बचाव के दौरान उसे भी चोट आई थी। न्यायालय उपस्थित आरोपी वहाँ पर नहीं था। इस प्रकार साक्षी लौदेलाल ने मौके पर आरोपी को उपस्थित होना नहीं बताया है, किन्तु इस साक्षी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि घटना दिनांक को आयासिंह के साथ मारपीट की घटना हुई थी।

**13.** राजकुमार अ.सा.05 ने बताया है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर भी इस साक्षी ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है तथा पुलिस को प्र.पी.04 का कथन देने से इंकार किया है। सुशील सोनवानी अ.सा.08 ने बताया है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना लगभग 3-4 वर्ष पूर्व ग्राम टाटीघाट के पास सुबह 8:00 बजे की है। वह चौरसिया बस में बैठकर बैहर से मोचा जा रहा था। टाटीघाट के पास बस ड्रायवर को कुछ लोगों ने बस रोककर मारपीट की थी। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि लोगों ने मारपीट करने वालों का नाम धनीराम बताया था। इस साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.08 का कथन देने से भी इंकार किया है। इस प्रकार इस साक्षी ने भी फरियादी आयासिंह बस ड्रायवर के साथ मारपीट होने की घटना की पुष्टि की है।

**14.** आयासिंह अ.सा.01 ने बताया है कि मारपीट से उसके नाक के पास चोट आई थी। पुलिस ने उसका उपचार करवाया था। उमेश अ.सा.03 ने भी बताया है कि आयासिंह के नाक के पास चोट आई थी। उमेश ने स्वयं के साथ भी मारपीट की बात बताया है, किन्तु स्थान पर चोट थी यह नहीं बताया है और आरोपी धनीराम द्वारा मारने की बात भी नहीं बताया है। डॉ० आर०के०

चतुर्वेदी अ.सा.06 ने बताया है कि दिनांक 13.08.2013 को उसने आहत उमेश का मेडिकल परीक्षण किया था। आहत ने कंधे में दर्द होना बताया था, किन्तु बाहरी चोट नहीं थी। स्वयं आहत उमेश ने कंधे में किसी चोट के बारे में नहीं बताया है।

**15.** डॉ० आर०के० चतुर्वेदी अ.सा.06 ने बताया है कि दिनांक 13.08.2013 को उसने आहत आयासिंह पिता बलराम का मेडिकल परीक्षण किया था। आहत के नाक के ऊपर आधा इंच गुणा आधा इंच कटा-फटा घाव चमड़ी तक, चोट क्रमांक 02 दांये सीने की तरफ आधा इंच गुणा आधा इंच खरोंच, चोट क्रमांक 03 दांये कंधे पर 02 गुणा 02 इंच का मुंदी चोट, चोट क्रमांक 04 बांये आंख के ऊपर आधा इंच गुणा आधा इंच लाल नीले रंग की मुंदी हुई चोट मौजूद थी। आहत की सभी चोटें साधारण प्रकृति की थी, जो सख्त एवं बोथरे वस्तु से परीक्षण के 5 -7 घंटे के भीतर पहुँचाई गई थी। उसके द्वारा दिया गया मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.06 है। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आहत आयासिंह को आई चोट कड़े एवं खुरदुरे स्थान पर गिरने से आ सकती है तथा सख्त एवं ठोस वस्तु में टकराने से या गिरने से आ सकती है, किन्तु आयासिंह के प्रतिपरीक्षण में इस संबंध में कोई सुझाव नहीं दिया गया है कि उसे आई हुई चोटें गिरने से या ठोस वस्तु पर टकराने से आई थी, जिससे चिकित्सक को दिये गये सुझाव से बचाव पक्ष को कोई सहायता भी प्राप्त नहीं होता है तथा आहत आयासिंह की चोट मारपीट की घटना से ही आना प्रकट है।

**16.** एल.सी. चौधरी अ.सा.07 ने बताया है कि थाना बैहर के अपराध क्रमांक 111/13 के विवेचना के दौरान दिनांक 13.08.2013 को घटनास्थल का मौका नक्शा प्र.पी.02 तैयार किया था। उक्त दिनांक को ही प्रार्थी आयासिंह, साक्षी राजकुमार, सोनेलाल, समशुल, उमेश, सुशील के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। दिनांक 15.08.2013 को आरोपी धनीराम को



गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.07 तैयार किया था। यद्यपि गिरफ्तारी के साक्षी सुखदेव अ.सा.09 तथा कमलेश अ.सा.10 ने अपने समक्ष आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने की घटना से इंकार किया है। साक्षी एल.सी. चौधरी अ.सा.07 ने प्रतिपरीक्षण में इससे भी इंकार किया है कि उसने साक्षियों के कथन अपने मन से लेखबद्ध किया था तथा इससे भी इंकार किया है कि उसने फरियादी से मिलकर फर्जी विवेचना की है। विवेचक के कथन में भी ऐसा कोई तथ्य नहीं है, जो अभियोजन के मामले को अविश्वसनीय बनाता है।

**17.** इस प्रकार फरियादी आयासिंह ने आरोपी धनीराम द्वारा मारपीट करने की बात बताया है। आरोपी धनीराम के अलावा अन्य 10-15 लोग भी होना बताया है, किन्तु प्रकरण में सिर्फ आरोपी धनीराम को ही आरोपी बनाया गया है और मारपीट करने वाले के रूप में फरियादी आयासिंह ने धनीराम की पहचान की है। अन्य साक्षी समशुल अ.सा.02, उमेश अ.सा.03, लौदेलाल अ.सा.04, सुशील अ.सा.08 ने भी टाटीघाट में बस ड्रायवर आयासिंह के साथ मारपीट होना बताया है। यद्यपि स्वतंत्र साक्षियों ने आरोपी धनीराम के द्वारा मारपीट करना नहीं बताया है, किन्तु आहत आयासिंह ने आरोपी धनीराम के द्वारा मारपीट करना बताया है, इसलिये अन्य साक्षियों द्वारा आरोपी का नाम प्रकट न करने से अभियोजन के मामले पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। आहत आयासिंह ने मारपीट से नाक में चोट आना बताया है। आहत आयासिंह की चोट का समर्थन डॉ० आर०के० चतुर्वेदी अ.सा.06 के कथन एवं मेडिकल रिपोर्ट प्र.पी.-06 से होता है। साक्षीगण के कथन में कोई तात्त्विक विरोधाभास एवं लोप नहीं है। आहत उमेश के संबंध में आरोपी धनीराम पर मारपीट का आरोप है, किन्तु स्वयं आहत उमेश अ.सा.03 ने 4-5 लोगों द्वारा मारपीट किया जाना बताया है और जो मारपीट किये उन्हें नहीं पहचानना बताया है। आरोपी धनीराम द्वारा ही उसके साथ मारपीट की गई थी यह नहीं बताया है, जिससे आहत उमेश के साथ आरोपी धनीराम द्वारा मारपीट की घटना प्रमाणित नहीं है, किन्तु

उपरोक्त परिस्थितियों में आरोपी धनीराम द्वारा फरियादी आयासिंह के साथ मारपीट की घटना प्रमाणित पाया जाता है, जहाँ अभियोजन के मामले का समर्थन चिकित्सक साक्षी के कथनों से होता है। आहत एवं साक्षीगण के कथन में कोई दुर्बलता न हो वहाँ भी अभियोजन का मामला प्रमाणित पाया जाता है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत भावला बनाम स्टेट ऑफ एम. पी., 2005(2)जे.एल.जे.403 अवलोकनीय है।

18. अब प्रकरण में यह विचार किया जाना है कि क्या आरोपी द्वारा फरियादी आयासिंह को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया गया था। आहत आयासिंह के कथन से अथवा बचाव में ऐसा भी कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है कि गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के वशीभूत होते हुए अथवा प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में आरोपी ने फरियादी से मारपीट की थी। फलतः आरोपी धनीराम द्वारा की गई घटना भी स्वेच्छया किया जाना प्रमाणित होता है।

#### विचारणीय प्रश्न क्रमांक-04

19. आयासिंह अ.सा.1 ने बताया है कि आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। साक्षी उमेश अ.सा.03 ने बताया है कि आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी थी। समशुल अ.सा.2, लौदेलाल अ.सा.04, राजकुमार अ.सा.05, सुशील अ.सा.08 ने आरोपी द्वारा धमकी दिये जाने के बारे में नहीं बताये हैं। फरियादी आयासिंह अ.सा.1 और उमेश अ.सा.3 ने यह नहीं बताये हैं कि वह आरोपी की धमकी को सुनकर भयभीत हो गये थे या उन्हें जान का भय पैदा हो गया था। फरियादी आयासिंह एवं उक्त साक्षियों ने यह भी नहीं बताये हैं कि आरोपी ने घटना पश्चात् अपनी धमकी को कार्यरूप में परिणित करने के लिए कोई कार्य किया था, जिससे आरोपी का धमकी निष्पादित करने का सुदृढ़ निश्चय व्यक्त नहीं होता है। फलतः घटना दिनांक को आरोपी द्वारा फरियादी आयासिंह को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर

उसे आपराधिक अभित्रास कारित करने की घटना का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत शरद दवे विरुद्ध महेश गुप्ता विधि भास्वर 2005 (2) पेज नं.152 अवलोकनीय है।

20. उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 13.08.2013 को 8:00 बजे आरक्षी केन्द्र बैहर अंतर्गत ग्राम टाटीघाट में फरियादी आयासिंह के मार्ग में स्वेच्छया बाधा डालकर उसे जिस दिशा में जाने का अधिकार था, उसमें जाने से निवारित कर सदोष अवरोध कारित किया, फरियादी आयासिंह को लोकस्थान या उसके समीप मॉ-बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया, आहत उमेश वघाड़े की मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित किया फरियादी आयासिंह को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः आरोपी को धारा-341, 294, 323 (आहत उमेश के संबंध में), 506 (भाग-2) भा.दं.वि. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है, किन्तु अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी ने फरियादी आयासिंह को मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया। फलतः आरोपी को धारा-323 भा.दं.वि. के आरोप में सिद्धदोष पाया जाकर दोषसिद्ध ठहराया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिया जा रहा है। फलतः दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

(मधुसूदन जंघेल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर जिला बालाघाट म.प्र.

पुनःश्च-

21. दण्ड के प्रश्न पर उभयपक्ष को सुना गया। आरोपी के विद्वान

अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आरोपी के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है। प्रथम अपराध है। प्रकरण वर्ष 2013 से लंबित है तथा लगभग प्रत्येक सुनवाई तिथियों पर आरोपी उपस्थित होते रहा है। फलतः दण्ड के प्रति नरम रुख अपनाये जाने का निवेदन किया है। आरोपी/आवेदक को दण्ड के प्रश्न पर सुनने एवं प्रकरण के अवलोकन से भी प्रकट है कि प्रकरण वर्ष 2013 से लंबित है। आरोपी भी प्रायः प्रत्येक सुनवाई तिथियों पर उपस्थित होते रहा है। आहत को आई चोटें साधारण प्रकृति की है। आरोपी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि वह गोंड जनजाति का व्यक्ति होकर मजदूरी एवं वन उपज से जीवन-यापन करता है। जेल की सजा दिये जाने से उसके परिवार के भरणपोषण की कठिन समस्या हो जायेगी। आरोपी के पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में भी कोई अभिलेख नहीं है। फलतः अपराध की प्रकृति एवं उक्त परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को निम्नलिखित दण्ड से दण्डित किया जाता है:-

क्र.	आरोपी का नाम	धारा	जेल की सजा	अर्थदण्ड	व्यतिक्रम में सजा
01	धनीराम पिता हीरासिंह, उम्र-40 साल	323 भा.द.वि.	न्यायालय अवधि अवसान तक कारावास	1000/- रुपये	15 दिवस का साधारण कारावास

**22.** आरोपी के बंधपत्र एवं प्रतिभूति पत्र निरस्त किया जाता है। आरोपी जमानत पर है। आरोपी को अभिरक्षा में लिया जाकर सजा भुगतान हेतु जेल भेजा जावे।

**23.** आरोपी जिस कालावधि के लिए जेल में रहा हो उस विषय में एक विवरण धारा-428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत बनाया जावे जो निर्णय का भाग होगा। निरोध की अवधि मूल कारावास की सजा में मात्र मुजरा हो सकेगी। आरोपी की पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा की अवधि निरंक है।

**24.** आरोपी द्वारा अर्थदण्ड अदा कर दिये जाने पर अर्थदण्ड की संपूर्ण

राशि 1000/-रुपये (अंकन में एक हजार रुपये) आहत आयासिंह पिता बलरामसिंह उम्र-35 साल, निवासी ग्राम सरेखा थाना बैहर जिला बालाघाट को अपील अवधि पश्चात अपील न होने पर दिया जावे।

**25.** प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक बांस का डण्डा मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में नष्ट किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया। “मेरे निर्देश पर टंकित किया”

सही /-  
(मधुसूदन जंघेल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

सही /-  
(मधुसूदन जंघेल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला बालाघाट (म.प्र.)